आईएनसी–26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समक्ष,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

ममता एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड ("दि कंपनी"), जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–12, डेरवाल नगर, दिल्ली 110009, में है के मामले में

....आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **दिल्ली के एन.सी.टी** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पं0 दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय का पताः ए–12, डेरवाल नगर, दिल्ली 110009

कृते और आवेदक की ओर से
ममता एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
निरेश जालान
निदेशक

स्थानः मुंबई
तिथिः 29.10.2020 DIN: 00211110

एम एस टी सी लिमिटेड
MSTC LIMITED
CIN : L27320WB1964GOI026211
GSTIN :19AACCM0021E1Z4
225सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020, भारत
वेबसाइट: www.mstcindia.co.in,
दूरभाष: 2281-9627/3088
ईमेल : cosec@mstcindia.co.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कंपनी के अनांकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के साथ अन्य विषयों पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में **सोमवार, 9 नवम्बर, 2020** को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.mstcindia.co.in** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते एमएसटीसी लिमिटेड
हस्ताक्षर
(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 30.10.2020

हर **एक काम**
देश के **नाम**

आईएनसी–26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समक्ष,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

ममता टेक्सडाइज प्राइवेट लिमिटेड ("दि कंपनी"), जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–12, डेरवाल नगर, दिल्ली 110009, में है के मामले में

....आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **दिल्ली के एन.सी.टी** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पं0 दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय का पताः ए–12, डेरवाल नगर, दिल्ली 110009

कृते और आवेदक की ओर से
ममता टेक्सडाइज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
निरेश जालान
निदेशक

स्थानः मुंबई
तिथिः 29.10.2020 DIN: 00211110

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियमों 2014 के नियम 30 के तहत)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स,नई दिल्ली–110003
के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 (4) कम्पनी अधिनियम 2013, और (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(2)(ए) के मामले में
तथा
बेनेफिट्सप्लस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–7, धवनदीप अपार्टमेंट्स, 6, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली – 110001 में है, के मामले में।

.......आवेदक

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी इसके पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य"** में स्थानांतरण हेतु कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये **28** अक्टूबर, **2020** को असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में कम्पनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार की व्याख्या करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अंदर नीचे वर्णित पते पर इसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को एक प्रति सहित **क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है अथवा भिजवा सकता है अथवा प्रेषित कर सकता है

कृते की ओर से
बेनेफिट्सप्लस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
कमल कुमार शर्मा
(निदेशक)
डीआईएन : 00606090

दिनांक : 29.10.2020
स्थान : नई दिल्ली

चमड़े के जूते-चप्पलों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नियम जारी

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने विभिन्न प्रकार के चमड़े के जूते–चप्पलों (फुटवियर) के गुणवत्ता नियंत्रण नियम जारी किए हैं। **(भाषा)**

डॉएच्च बैंक एजी

शुद्धिपत्र

ऋणधारकः मै. हिरन फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री अंकुर अगरवाल के संदर्भ में दिनांक 29.10.2020 को इस समाचार पत्र में पेज सं. 9 पर प्रकाशित विज्ञापन कब्जा सूचना में विशाल चरण प्राधिकृत अधिकारी, ड्यूट्शे बैंक एजी (गलती से वर्णित है) की जगह उसे **विशाल चरण प्राधिकृत अधिकारी, डॉएच्च बैंक एजी** पढ़ा/समझा जाए अथवा जहां भी ड्यूट्शे बैंक एजी सम्बन्धित विज्ञापन में वर्णित है, उसे **डॉएच्च बैंक एजी** पढ़ा/समझा जाए। बाकी नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

विशाल चरण,
प्राधिकृत अधिकारी,
डॉएच्च बैंक एजी

दिनांकः 30.10.2020
स्थानः नई दिल्ली

ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः आर–4, यूनिट नं. 102, प्रथम तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, दिल्ली–110017
CIN: L74899DL1990PLC039989
cs@tritoncorp.in/011-49096562

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की 4थी बैठक (वित्त वर्ष 2020–2021 के लिये) शुक्रवार, 6 नवम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. में आर–4, यूनिट नं. 102, प्रथम तल, खिरकी एक्सटेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये अनंकेक्षित समेकित तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक किसी अन्य मामलों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशकों/ अधिकारियों/ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1 अक्टूबर,2020 से 9 नवम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.tritoncorp.in तथा बम्बई स्टॉक एक्सचैंज की साइट अर्थात www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से
ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
तारा रावत
(कम्पनी सचिव)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29.10.2020

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में एमटेक इंडिया लिमिटेड विदित)
CIN:L65921HR1983PLC033789
पंजी. कार्या.: ग्राम नरसिंहपुर मोहम्मदपुर, पुराना मानेसर रोड, गुड़गाँव, हरियाणा–123106
कॉर्पोरेट कार्यालयः 3एलएससी पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048
Tel: +91-11-4234444 Fax: +91-11-42344400 E-mail: info@amtek.com Web: www.amtek.com

ईमेल पता, मोबाईल नम्बर एवं बैंक मैन्डेट के अद्यतनीकरण के लिये शेयरधारकों के लिये सूचना

कोरोना वायरस महामारी (कोविड–19) को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, नं. 17/2020, नं. 20/2020 तथा 33/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 तथा क्रमशः 28 सितम्बर, 2020 (यहाँ के बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्क्युलर्स' विदित) तथा सेबी ने सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 के माध्यम से कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वार्षिक रिपोर्ट, साधारण सभा की सूचना तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना भेजने की सुविधा दी है। उपरोक्त के आलोक में कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') अपने सभी शेयरधारकों से आग्रह करता है कि आरटीए/डिपॉजिटरी के पास निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता, मोबाईल नम्बर पंजीकृत तथा भविष्य में कोई भी लाभांश प्राप्त करने के लिये अपने बैंक मैंडेट को अपडेट कराऐं।

भौतिक धारिता के लियेः भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना भेजने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थात् बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी) लिमिटेड जिसका कार्यालय हैः बीटल हाउस, 3रा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062 के पास investor@beetalfinancial.com पर निम्न विवरणों को भेजेंः

विवरणः सम्पूर्ण नाम, पता, ईमेल पता, मोबाईल नं., धारित शेयरों की सं., फोलियो नं., प्रमाणपत्र सं. विशिष्ट सं. पैन, तथा आधार कार्ड की मूल स्कैन कॉपी; निरस्त चेक की मूल स्कैन कॉपी अथवा बैंक प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित पासबुक, आईएफएससी एवं एमआईसीआर नं. (बैंक मैंडेट के लिये) के साथ।

डिमैट धारिता के लियेः डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि जिनके पास उनका डिमैट खाता प्रबंधित हो, उस संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराऐं।

कृपया ध्यान रहे कि जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते नहीं उपलब्ध कराऐ हैं, वे एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019–2020 के लिये वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन, वह कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् https://www.amtek.com/ail.php तथा बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा एमएसई अर्थात् www.nseindia.com पर नियत समय पर उपलब्ध होंगे।

अधिक जानकारी के लिये सदस्यगण ctl.compliance@castextechnoligies.com/ investor@beetalfinancial.com पर कम्पनी/कम्पनी के आरटीए को लिख सकते हैं।

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिये
(कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत कम्पनी)
हस्ता./–
दिव्या रिजवानी
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28.10.2020

श्री दिनकर तिरुवनंदपुरम वेंकटसुब्रमणियन (प्रस्ताव कर्मी) की स्वीकृति से जारी
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016/17/10011

ऑनलाइन ई–निलामी सम्पत्ति की ब्रिकी

kotak
Kotak Mahindra Bank

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोडः 400051, शाखा कार्यालयः 7 तल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर – 125, डेल कैम्पस के पास, नोएडा, यू.पी. – 201313।

अचल संपत्तियों के ब्रिकी के लिए ब्रिकी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के नियम 8 (5) के प्रावधानों के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की ब्रिकी के लिए ई–निलामी बिक्री सूचना।

सीसीएफआइएल ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के पक्ष में असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.06.2014 द्वारा कर्ज सौंपा है तथा एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूति ऋणदाता अर्थात **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**, के पास गिरवी/चार्जड अचल संपत्ति जिसे दिनांक **19.10.2020** को केएमबीएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है, ऋणी **श्री दिनेश चौटवानी पुत्र श्री कन्हैया लाल चौटवानी और श्रीमती विभा देवी चौटवानी पत्नी श्री दिनेश चौटवानी** द्वारा **ऋण खाता संख्या 15543802** में प्रतिभूति ऋणदाता केएमबीएल को देय दिनांक 27.10.2020 तक की बकाया राशि **रू. 85,90,356.46/–** (रू. पिच्यासी लाख नब्बे हजार तीन सौ छप्पन और पैसे छियालिस मात्र) व इसके आगे के ब्याज की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", जैसा है जो भी है" तथा जो कुछ भी वहां है" आधार पर **04.12.2020 को प्रातः 12:00 से दोपहर 02:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ** बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रू. 30,00,000/– (रू. तीस लाख मात्र) और ईएमडी **रू.** 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र) होगा **एवं** केवाईसी के साथ ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **3.12.2020** को सांय 7:00 बजे तक है (भा.मा.स.)।

संपत्ति विवरणः मकान नंबर 191, मापक्षेत्र 195.06 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 149/8, रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन कॉलोनी, ग्राम परगना, लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित संपत्ति के सभी भाग व अंश, **संपत्ति चौद्दहीः पूर्वः** प्लॉट नंबर 190, **पश्चिमः** प्लॉट नंबर 192, **उत्तरः** 12 फीट चौड़ी सर्विस लेन , **दक्षिणः** 40 फीट चौड़ी सड़क ।

ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, आमंत्रित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से ऋणी कृपया ध्यान दें कि यदि किसी भी कारण से निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल रहती है, तो सुरक्षित लेनदार निजी समझौते के माध्यम से बिक्री कर सकता है। बिक्री के अधीन परिसंपत्तियों के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के लिए, बोलीदाता– **श्री राजेन्द्र दहिया (+91 8448264515), श्री आकाश सक्सेना (+91 8860001910), श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) और श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091) से संपर्क कर सकते हैं।** ब्रिकी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कोटक बैंक लिमिटेड की वेबसाइड अर्थात **www.kotak.com** एवं/अथवा **https://kotakbank.auctiontiger.net.** में दिये गए लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें।

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 27.10.2020

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

मनोहर पार्रिकर रक्षा–अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान
नं. 1, डेवलपमेन्ट एन्क्लेव, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली–110010
टेलीफोन नं. 011–26717983, वेबसाईटः www.idsa.in
(विज्ञापन सं.: MP-IDSA/ 0236/2020)
रिक्ति उद्घोषणा

निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैः

क्रम सं.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वेतन
1.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01 (अनारक्षित)	7वाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 6 (रु. 35400–1,12,400)
2.	कनिष्ठ सहायक (लेखाकार)	01 (अनारक्षित)	7वाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 4 (रु. 25500–81,100)
3.	डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) सहायक	01 (अनारक्षित)	7वाँ सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 2 (रु. 19,900–63,200)

पात्रता मान दंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के साथ पदों का विवरण संस्थान की वेबसाईट **https://www.idsa.in/jobs** पर दी गई है।
आवेदन की अंतिम तिथिः 01 दिसम्बर, 2020 के 5.00 बजे अप. तक

davp 10113/11/0007/2021

DiGiSPICE
डिजि़स्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः 622, 6ठा तल, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली –110025
सीआईएनः L72900DL1986PLC330369
टेलीफोनः 011–41251965, **ईमेलः** complianceofficer@digispice.com **वेबसाइटः** www.digispice.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डिजि़स्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (कम्पनी) की 32वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2020 को 11:00 बजे, कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी जाने वाली एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेतु किया जाएगा।

कोविड–19 महामारी की वजह से सामाजिक दूरी की आवश्यकता के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के हवाले से, एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम, एक आम स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना, करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहित, तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कम्पनी की 32वीं एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु संगणित किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.digispice.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

ईमेल आईडी पंजीकरण की प्रणाली – कम्पनी के सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), मास सर्विसेस लिमिटेड को info@masserv.com पर, फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम (संयुक्त धारक(ओं) सहित, यदि कोई हो), शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रति (आगे तथा पीछे), पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति तथा पते का प्रमाण पत्र जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी इत्यादि उल्लेख करते हुए, शेयरधारक (संयुक्त धारक(ओं) सहित, यदि कोई हो) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं।

बैंक विवरण पंजीकरण की प्रणाली – कम्पनी के सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे अपना बैंक खाते का विवरण मूल रद्द चेक के साथ कम्पनी के आरटीए, मास सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, द्वितीय मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020 को, फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए एक पत्र के साथ भेजें।

कम्पनी के सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्होंने अपना ईमेल आईडी या बैंक खाता विवरण दर्ज नहीं किया है, वे अपने डीपी से संपर्क कर सकते हैं तथा अपने संबंधित डीपी के साथ अद्यतन कर सकते हैं।

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के साथ डीमेटेरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियों को प्रतिरक्षित नहीं किया जाता है। अतः, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करें।

कृते **डिजि़स्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड**
(पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)
एम. आर. बोथरा
वाइस प्रेसिडेंट – कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं कम्पनी सचिव

दिनांकः 29.10.2020
स्थानः दिल्ली

गन्ने से तैयार एथनॉल की कीमत 3.34 रुपए लीटर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

- सी–हैवी मोलासेज (खांड़) से तैयार एथनॉल की दर 43.75 रुपए से बढ़ाकर 45.69 रुपए प्रति लीटर और बी–हैवी मोलासेज से बने एथनॉल की दर 54.27 रुपए से बढ़ाकर 57.61 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।
- भारत ईंधन की जरूरतों की पूर्ति के लिए 85 फीसद आयात पर निर्भर है। भारत वाहनों का उत्सर्जन कम करने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटाने के लिए पेट्रोल में 10 फीसद एथनॉल मिलाने की अनुमति देता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में मिश्रण के लिए गन्ने से निकाले जाने वाले एथनॉल की कीमत में गुरुवार को 3.34 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी। सरकार ने कार्यक्रम को तेज करने के लिए यह निर्णय लिया है। पेट्रोलियम में एथनॉल मिलाने के कार्यक्रम से गन्ना किसानों को फायदा पहुंचने के साथ–साथ पेट्रोलियम आयात पर खर्च कम करने में भी मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिसंबर, 2020 से शुरू हो रहे आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ना से निकाले गए एथनॉल की कीमत मौजूदा 59.48 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 62.65 रुपए प्रति लीटर कर दी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सी–हैवी मोलासेज (खांड़) से तैयार एथनॉल की दर 43.75 रुपए से बढ़ाकर 45.69 रुपए प्रति लीटर और बी–हैवी मोलासेज से बने एथनॉल की दर 54.27 रुपए से बढ़ाकर 57.61 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

भारत ईंधन की जरूरतों की पूर्ति के लिए 85 फीसद आयात पर निर्भर है। भारत वाहनों का उत्सर्जन कम करने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटाने के लिए पेट्रोल में 10 फीसद एथनॉल मिलाने की अनुमति देता है। यह गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने का एक अन्य विकल्प भी प्रदान करता है।

ईंधन विपणन कंपनियों द्वारा भुगतान की गई एथनॉल कीमत में लगातार वृद्धि से एथनॉल की खरीद 2013–14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2019–20 में 195 करोड़ लीटर पर पहुंच गई। जावडेकर ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में मिलाने के लिए बनाए गए एथनॉल पर लगने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा ढुलाई की लागत का वहन करेंगी। मंत्री ने कहा, 'एथनॉल शून्य उत्सर्जन वाला पर्यावरण के बेहद अनुकूल ईंधन है।'

इससे पहले तक हर प्रकार के एथनॉल के लिए एक ही कीमत थी, लेकिन अब सरकार ने अलग स्रोतों वाले एथनॉल की अलग–अलग कीमतें निर्धारित की हैं। अभी सी–हैवी मोलासेज, बी–हैवी मोलासेज, गन्ना रस और चीनी से बने एथनॉल खरीदने की मंजूरी है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथनॉल खरीदने का सत्र एक दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक चलेगा।

मौजूदा विपणन सत्र अगले महीने समाप्त होगा। इसमें चीनी मिलें अभी तक करीब 195 करोड़ लीटर एथनॉल उपलब्ध करा चुकी हैं। इनमें से 142 करोड़ लीटर यानी करीब 73 फीसद की आपूर्ति तेल विपणन कंपनियों को की जा चुकी है। सरकार ने 10 फीसद तक मिश्रण की मंजूरी दी है। पर अभी उपलब्धता कम होने के कारण पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथनॉल की मिलावट की जा रही है। तेल विपणन कंपनियों ने 2020–21 में 10 फीसद एथनॉल मिलावट का लक्ष्य पाने के लिए 465 करोड़ लीटर एथनॉल खरीदने की योजना तय की है। चीनी मिलों के पास करीब 3.55 अरब लीटर एथनॉल का उत्पादन करने की क्षमता है, जिनके कुछ साल में बढ़कर करीब 4.66 अरब लीटर हो जाने का अनुमान है।

संसदीय समिति ने पेटीएम से चीनी निवेश के बारे में पूछे सवाल

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (भाषा)।

संसद की समिति ने गुरुवार को पेटीएम के प्रतिनिधियों से कंपनी में चीनी कंपनियों के निवेश के बारे में सवाल पूछे। समिति ने उनसे यह भी कहा कि जिस सर्वर में ग्राहकों के आंकड़े हैं, उसे भारत में ही रखा जाना चाहिए।

सूत्रों ने कहा कि पेटीएम के शीर्ष अधिकारी व्यक्तिगत सूचनाओं के संरक्षण विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए और प्रस्तावित कानून को लेकर आंकड़ों के प्रबंधन समेत महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अपने सुझाव दिए। विभिन्न दलों के सदस्यों वाली प्रवर समिति ने पेटीएम से यह पूछा कि जिस सर्वर में ग्राहकों के आंकड़े रखे गए, वह विदेश में क्यों है जबकि कंपनी भारतीय इकाई होने का दावा करती है। सूत्रों के अनुसार समिति के सदस्यों ने पेटीएम के प्रतिनिधियों से कहा कि ग्राहकों के आंकड़े वाले सर्वर को भारत में रखा जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी जानना चाहा कि कंपनी के डिजिटल भुगतान सेवा में चीनी निवेश कितना है। चूंकि पेटीएम अपने ई–वाणिज्य मंच पर स्वयं के उत्पाद भी बेच रही है, इसको देखते हुए हितों के टकराव की संभावना के बारे में सवाल पूछे गए। पेटीएम ने समिति के समक्ष कहा कि संवेदनशील और व्यक्तिगत आंकड़े प्रसंस्करण (विश्लेषण) को लेकर भारत के बाहर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा आंकड़े से जुड़े व्यक्ति की जरूरी मंजूरी के बाद ही हो सकता है। फेसबुक, ट्विटर और अमेजन पहले ही समिति के समक्ष अपनी बातें रख चुकी हैं।

जीएसटी के 1,278 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों के गोरखधंधे का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (भाषा)।

माल व सेवाकर (जीएसटी) अधिकारियों ने फर्जी बिल बनाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध धंधे में 1,278 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाने का मामला सामने आया है जिनके जरिये अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है।

मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया कि खुफिया सूचना के आधार पर केंद्रीय माल व सेवाकर (सीजीएसटी) के कर अपवंचना– रोधी शाखा के अधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए फर्जी बिल बनाने के बड़े गोरखधंधे को पकड़ा। यह कार्रवाई सीजीएसटी, आयुक्तालय, दिल्ली (पूर्वी) के तहत की गई। इसमें 1,278 करोड़ रुपए (अनुमानित) के फर्जी बिलों के जरिए अवैध आइटीसी हथियाने की चाल सामने आई है। यह काम सात अलग–अलग फर्जी कंपनियां बनाकर किया जा रहा था। इसमें 137 करोड़ रुपए के आइटीसी पाने की चाल थी। सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले इन लोगों की पहचान के लिए जीएसटी अधिकारियों ने दिल्ली और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। फर्जी कंपनियां नकली बिल बनाती है। कोई माल भेजे बिना ही फर्जी ई–वे बिल भी तैयार किये जाते हैं और उसके बाद सरकार से आईटीसी का दावा किया जाता है।

दूसरे दिन गिरावट, सूचकांक 173 अंक टूटा

मुंबई, 29 अक्तूबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही और बीएसई सूचकांक 173 अंक टूट गया। मासिक डेरिवेटिव्स अनुबंधों की समाप्ति और वैश्विक स्तर पर मिले–जुले रुख के बीच निवेशकों ने बैंक, वित्तीय और ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की।

कारोबारियों के अनुसार रुपए की विनिमय दर में गिरावट और प्रमुख कंपनियों के दूसरी तिमाही के परिणाम अच्छा नहीं रहने से भी निवेशकों की धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 172.61 अंक यानी 0.43 फीसद की गिरावट के साथ 39,749.85 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58.80 अंक यानी 0.50 फीसद टूटकर 11,670.80 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में एलएंडटी रही। इसमें 4.99 फीसद की गिरावट आई। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 45 फीसद घटने से शेयर टूटा। जिन अन्य प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उनमें टाइटन, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, एचयूएल, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी शामिल हैं।

दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, अल्ट्रा टेक सीमेंट, एचसीएल टेक, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इनमें 2.79 फीसद तक की तेजी आई। एशियाई बाजारों पर वाल स्ट्रीट का असर पड़ा। दोनों डो जोन्स और एस एंड पी 500 में जून के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई। इसका कारण निवेशकों का कोरोना विषाणु के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित होना है। फ्रांस ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में पूर्णबंदी लगाए जाने की घोषणा की है। वहीं जर्मनी ने भी आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है। कारोबारियों के अनुसार अक्तूबर के वायदा व विकल्प खंड में अनुबंधों की समाप्ति के साथ बाजार में उतार–चढ़ाव रहा।

एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, सोल और तोक्यो बाजारों में गिरावट रही जबकि शंघाई बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इसका कारण कंपनियों का उम्मीद से बेहतर वित्तीय परिणाम का होना है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.15 फीसद की गिरावट के साथ 38.39 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। विदेशी विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटकर 74.10 पर बंद हुआ।

आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन सितंबर में 0.8 फीसद घटा

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (भाषा)।

आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट का सिलसिला सितंबर में लगातार सातवें महीने जारी रहा। इस उत्पादन में सालाना आधार पर 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई। लेकिन मार्च के बाद यह सबसे कम गिरावट है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई। सितंबर में आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट मार्च के बाद सबसे कम रही है। कोरोना विषाणु और पूर्णबंदी से प्रभावित इस दौर में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। सितंबर में कोयला, बिजली और इस्पात उद्योग के उत्पादन में बढ़ोतरी रही। इसके विपरीत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और सीमेंट सभी क्षेत्रों का उत्पादन नीचे आया।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल–सितंबर के दौरान आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 14.9 फीसद घटा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 1.3 फीसद बढ़ा था।

सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार ने प्याज बीजों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में उछाल के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। अभी इसके निर्यात पर नियंत्रण लगे हुए थे और बिना लासेंसे लिए इसका निर्यात नहीं किया जा सकता था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि प्याज बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान 5.7 लाख डॉलर के प्याज बीज का निर्यात हुआ है। वहीं 2019–20 के पूरे वित्त वर्ष में प्याज बीज का निर्यात 35 लाख डॉलर रहा था। डीजीएफटी कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर पहले ही रोक लगा चुका है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र ने खुदरा और थोक व्यापारियों पर 31 दिसंबर तक प्याज के भंडारण की सीमा भी लगाई है। खुदरा व्यापारी सिर्फ दो टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं। वहीं थोक व्यापारियों को 25 टन प्याज का भंडारण करने की अनुमति होगी। भारी बारिश की वजह से प्याज की खरीफ की खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। इससे पिछले कुछ सप्ताह के दौरान प्याज का भाव 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।

चाय की पत्ती 75 हजार रुपए किलो बिकी

गुवाहाटी, 29 अक्तूबर। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र (जीटीएसी) ने कोरोना महामारी के बीच हुई नीलामी में चाय पत्ती की विशेष किस्म मनोहारी गोल्ड की बिक्री 75 हजार रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की है। केंद्र के अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि यह रिकॉर्ड दर इस साल मिली अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। एक साल के अंतराल के बाद जीटीएसी को मनोहारी गोल्ड चाय पत्ती 75 हजार रुपए किलो बेचने का अवसर मिला। **(भाषा)**

www.readwhere.com